न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(17)

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 802-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 24-01-2017 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील बरेली जिला रायसेन प्रकरण क्रमांक 03/अ-13/2015-16

छोटेलाल उर्फ छुट्टन आत्मज खरगराम किरार
निवासी एवं कृषक ग्राम केलकच्छ तहसील बरेली
जिला रायसेन म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. मोहनसिंह आत्मज खेतसिंह
2. मनमोहन आत्मज खेतसिंह
3. कोशलसिंह आत्मज खेतसिंह
   तीनों निवासी एवं कृषक ग्राम केलकच्छ तहसील बरेली
   जिला रायसेन म.प्र.
4. रामस्वरूप आत्मज कुन्दनलाल
5. रामसेवक आत्मज कुन्दनलाल
6. सत्यनारायण आत्मज कुन्दनलाल
7. पुरूषोत्तम आत्मज कुन्दनलाल
8. दीनदयाल आत्मज कुन्दनलाल

निवासी ग्राम बागपिपरिया कृषक ग्राम केलकच्छ
तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक

श्री ओ.पी.दुबे, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 से 3 व 5 से 8

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित दिनांक 24-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील बरेली जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 131 (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम केलकच्छ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 292, 286 पर आवेदक द्वारा अवरूद्ध किये गये रास्ते को खोले जाने का अनुरोध किया गया । साथ ही अंतरिम रास्ता खोजे जाने हेतु संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ-13/2015-16 दर्ज कर दिनांक 24-01-2017 को अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नही दिया और ना ही उपलब्ध साक्ष्य पर लेशमात्र विचार किया है । यह भी कहा गया कि हल्का पटवारी इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि खसरा क्रमांक 287, 289, 290 एवं खसरा क्रमांक 283 एवं 286 के पगडंडी रास्ते से होकर अपना कृषि कार्य कर रहे है । खसरा क्रमांक 283 खसरा क्रमांक 296 से लगा हुआ है । हल्का पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है । नजरी नक्शे में हल्का पटवारी द्वारा परम्परागत रास्ते एवं अनावेदकगण द्वारा मांगे जा रहे रास्ते का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व प्रतिवेदन के साथ संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन किये बिना ही आवेदक की भूमि से रास्ता दिये जाने में त्रुटि की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और यदि आवेदक की भूमि पर से फैसिंग हटाकर रास्ता दिया जाता है तो आवेदक की फसल को क्षति होगी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं बोलता हुआ आदेश न ही माना जा सकता है, क्योंकि उनके स्वयं द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत स्थल जांच प्रतिवेदन के विपरीत आदेश पारित किया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. अनावेदकगण के स्वत्व की ग्राम केलकच्छ स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 287, 289, 290, 291 पर आने-जाने के लिए आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 292 एवं रामचरण की भूमि सर्वे क्रमांक 286 की मेड पर बने रास्ते का उपयोग परम्परागण रूप से करते आ रहे है, जिसे आवेदक ने बंधिया डालकर तार फैसिंग कर बंद कर दिया है ।
2. पटवारी रिपोर्ट व स्थल निरीक्षण उभय पक्षों की उपस्थिति में किया गया । पूर्ण जांच उपरांत पटवारी रिपोर्ट तथा स्थल निरीक्षण के बाद अनावेदकगण के खेत से उत्तर दिशा में बरेली पिपरिया मार्ग तक लगभग 500 मीटर की दूरी तक अपनी तार फैसिंग का अवरोध इस सीमा तक हटाने के आदेश दिये गये कि ट्रेक्टर का एक पहिया सर्वे क्रमांक 292 की तरफ तथा एक पहिया सर्वे क्रमांक 286 की तरफ से आसानी से अनावेदकगण अपनी फसल आदि खेत से बाहर जे जा सकें ।
3. उपरोक्त आदेश से आवेदक को कोई हानि नहीं है और न ही उसके कृषि कार्य बाधित होते है ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण जांच एवं स्थल निरीक्षण साक्षियों के कथन एवं पूर्व से परम्परागण रास्ते के अनुसार विधि अनुसार आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है एवं स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पटवारी एवं उभय पक्ष की उपस्थिति में स्वयं स्थल निरीक्षण किया जाकर, अनावेदकगण के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं पाये जाने पर अन्तरिम रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया है । इस सम्बन्ध में 1988 आर.एन. 292 जानीबाई (श्रीमती) ठाकर सिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> "'धारा 131-अंतरिम आदेश-स्थल निरीक्षण के पश्चात अंतर्निहित शक्तियों के अधीन पारित किया जा सकता है ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तहसीलदार के आदेश के कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । चूंकि तहसीलदार द्वारा अभी अन्तिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है और वह साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता परम्परागत नहीं होना सिद्ध कर सकते हैं । उपरोक्त विष्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार के आदेश में इस स्तर पर हस्ताक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-10-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर